न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 14 (4) एल.आर.: 04/2016
दायर दिनांकः 16.08.2016
निर्णय दिनांक 19.08.2019

—:अनवानः—

1— श्री घीसासिंह पिता भैरूसिंह रावत, उम्र वयस्क निवासी बग्गड़ तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1— श्री दुदसिंह पिता गंगासिंह रावत उम्र वयस्क निवासी बग्गड़ तहसील भीम जिला राजसमन्द
2— श्री केसरसिंह पिता गंगासिंह रावत उम्र वयस्क निवासी बग्गड तहसील भीम जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एलोटमेन्ट आफ लेण्ड फोर एग्रीकल्चर परपज रूल्स 1970

उपस्थितः—

1— श्री डुंगरसिंह कर्णावट, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री प्रजीत तिवारी अप्रार्थी संख्या 01 व 02

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 का केम्प आयोजित किया गया था। केम्प में दिनांक 14.01.2013 को प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा गांव बग्गड़ तहसील भीम की आ0नं0 359 व 2373 रकबा 03.17 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया। विपक्षीगण ने आवंटन हेतु जोईन्ट प्रार्थना पत्र लगाया है जो काननून गलत है। आवंटन संयुक्त रूप से नहीं किया जा सकता है। विपक्षीगण द्वारा अपने आपको भूमिहिन कृषक बताकर आवंटन कराया गया जो गलत तथ्य बताकर कराया गया है। विपक्षीगण भूमिहिन नहीं है। जिस भूमि का आवंटन किया गया है वह भूमि फ्री लेण्ड नहीं है वह भूमि प्रार्थी के अधिपत्य की है और इस भूमि के सटमा चारों और प्रार्थी की भूमि है और उसे आवंटित कराने का प्रथम अधिकारी प्रार्थी का है। विपक्षीगण का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है न आज भी है। आराजी नं0 2373 वास्तव मे आवंटित ही नहीं की गयी थी इस नम्बर को बाद मे पटवारी ने जोड दिया जिसकी काट—फास स्पष्ट नजर आ रही है। आवंटन किसी एडवाईजरी कमेटी की राय से नहीं किया गया केवल मात्र प्रभारी अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया जो न्यायोचित नहीं है। आवंटन से पूर्व एडवाईजरी कमेटी का गठन ही नहीं किया

गया न उनकी राय ली गई। नियम 13 की कोई पालना नहीं की गई 7 दिन पूर्व एडवाईजरी कमेटी का कोई नोटिस नहीं दिया व एडवाईजरी कमेटी का कोई कोरम ही बना। अंत में विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतु जरिये सम्मन् सूचित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, भीम से भूमि आवंटन संबंधी पत्रावली तलब की गयी।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी जवाब के लिये 10 अवसर लिये जा चुके है। जवाब पेश नहीं किया गया और अन्त में जवाब बंद करना पडा। उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के प्रतिकुल है। केम्प में दिनांक 14.01.2013 को प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा गांव बग्गड़ तहसील भीम की आ0नं0 359 व 2373 रकबा 03.17 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया। दिनांक 14.01.2013 को सब कार्यवाही एक दीन में की गई और आवंटन हो गई। प्रोक्लेमेशन जारी नही हुआ। आवंटन की कमेटी बनती है। आवंटन कमेटी को सूचना नही दी गई। बिना कमेटी के उसी रोज रिपोर्ट करके अप्रार्थी को आवंटन कर दी गयी। इस जमीन के चारो और प्रार्थी श्री घीसासिंह की जमीन होने के बावजूद कोई मौका नहीं दिया गया। आवंटन से पूर्व उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई जांच नही की गई। नियम 13 के तहत एडवाईजर कमेटी की कोई राय नहीं ली गई। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि को काश्त नहीं किया गया है। एक साल में आवंटी को आवंटित भूमि पर काश्त करना होता है। विपक्षीगण ने आवंटन हेतु (दूदसिंह और केसरसिंह) जोईन्ट प्रार्थना पत्र लगाया जो जोईन्ट प्रार्थना पत्र नहीं लगा सकता है। प्रार्थी का कथन है कि आवंटित कराने का सबसे ज्यादा अधिकारी हुँ। आवंटी को कब्जा 15 दिन बाद दिया गया। मौतबीरान के हस्ताक्षर भी 15 दिन बाद हुए है। आवंटी को लाभ देने के लिए आवंटन किया गया है। अप्रार्थीगण का कोई कब्जा भी नहीं है। इस प्रकार प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में आवंटन कर दिया गया जो कि कानूनन गलत होने से किया गया आवंटन खारिज किये जाने योग्य हैं। इस आधार पर आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में बताया कि केम्प में आवंटन होने से जल्दी मे किया गया है। केम्प मे प्रक्रिया पूरी हो पाती है। पटवारी हल्का बग्गड व उपखण्ड अधिकारी भीम ने रिपोर्ट कर दी थी। उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न है। आवंटन की प्रक्रिया पूरा करने का आक्षेप इसलिये सही नहीं है क्योंकि केम्प मे कार्यवाही हुई। मौके पर सुपुर्दगी नामा बना है। गांव के मौतबीर से पूछ कर कब्जे के बारे मे पुछकर ही सबके हस्ताक्षर हुए है। आवंटन कमेटी की रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न है। केम्प मे राहत देने के लिये कार्यवाही फास्ट होती है। पटवारी की रिपोर्ट में अप्रार्थी का कब्जा 1975 से कब्जा बताया

है। आवंटन की प्रक्रिया एक ही दीन मे होने से खारिज नहीं किया जा सकता । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज कराना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, भीम की भूमि आवंटन पत्रावली संख्या 03/2013 आदेश दिनांक 14.01.2013 की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि उक्त आवंटन की कार्यवाही में विधि अनुसार मिसल कायम कर भूमि आवंटन की कार्यवाही की गयी हैं जिसमें समिति का गठन होकर आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिस पर उक्त आवंटन किया जाना प्रमाणित पाया गया तथा आवंटन आदेश की पालना में मौके पर कब्जा आधिपत्य विपक्षी संख्या 1 व 2 को सिपुर्द किया जाना प्रकट हैं। आवंटन की प्रक्रिया पूरा करने का आक्षेप इसलिये सही नहीं है क्योंकि केम्प मे कार्यवाही हुई। मौके पर सुपुर्दगी नामा बना हैं। गांव के मौतबीर से पूछ कर कब्जे के बारे मे पुछकर ही सबके हस्ताक्षर हुए है। आवंटन कमेटी की रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न है। केम्प मे राहत देने के लिये कार्यवाही फास्ट होती है। पटवारी की रिपोर्ट में अप्रार्थी का कब्जा 1975 से होने से केम्प में प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में विपक्षी संख्या 1 व 2 को गांव बग्गड़ तहसील भीम की आ0नं0 359 व 2373 रकबा 03.17 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 14.01.2013 को किया गया। उक्त आवंटन की दिनांक को प्रार्थी का कोई कब्जा रहा हों इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी हैं। ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से मैं उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना उचित नहीं समझता हूं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा ग्राम बग्गड तहसील भीम मे स्थित खसरा नं0 359 व 2373 रकबा 03.17 भूमि के आवंटन हेतु पारित आवंटन आदेश दिनांक 14.01.2013 को यथावत रखा जाता हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)